न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 271/18 **निर्णय दिनांकः 11.10.2018**

1. प्रतापचन्द पुत्र तोलाचन्द जाति राखेचा निवासी लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 12—04—2005
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. सुश्री रोशनआरा , अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 12—04—2005 जिसके द्वारा अपीलांट् को 20 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र धोषित किया गया व उक्त निर्णय अनुसार भूमि आवंटन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने हेतु इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील लूणकरनसर के समक्ष

बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई। संबंधित तहसीलदार द्वारा पर्याप्त जॉच के उपरान्त अपीलांट को बतौर भूमिहीन आवंटन का पात्र साबित होने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को 20 बीघा कमाण्ड भूमि के आवंटन का पात्र धोषित किया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट तभी से निरन्तर अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर पात्रता अनुसार भूमि आवंटन की मांग करता रहा है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष मौखिक/लिखित अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किये गये परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की इस्तदुआ पर कोई गौर नहीं किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को भूमि आवंटन का पात्र धोषित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को तत्सयम ही पात्रता अनुसार भूमि आवंटन कर दी जानी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा आज दिनांक तक भी अपीलांट को भूमि आवंटित नहीं की गई है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर भूमि दी जावे। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत को निर्देशित किया जावे कि वे अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बारम्बार उपस्थित होकर पात्रता अनुसार भूमि आवंटन की इस्तदुआ की जाती रही है। अदलत मातहत द्वारा आज दिनांक तक भी अपीलांट को पात्रता अनुसार भूमि आवंटित नहीं की गई है। ऐसे में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12—04—2005 के विरूद्व अपील दिनांक 16—07—2018 को प्रस्तुत की गई है। जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आज दिनांक को भी अदालत मातहत के समक्ष जैरकार है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 12—04—2005 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 16—07—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से उपनिवेशन तहसील लूणकरनसर के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त किये जाने पपर अपीलांट को बतौर भूमिहीन आवंटन का पात्र साबित होने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को 20 बीघा कमाण्ड भूमि के आवंटन का पात्र धोषित किया गया।

(3) प्रकरण में अपीलांट तभी से निरन्तर अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर पात्रता अनुसार भूमि आवंटन की मांग की जाती रही है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष मौखिक/लिखित अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किये गये परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की इस्तदुआ पर कोई गौर नहीं किया गया। जिससे

व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को भूमि आवंटन का पात्र धोषित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को तत्सयम ही पात्रता अनुसार भूमि आवंटन कर दी जानी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा आज दिनांक तक भी अपीलांट को भूमि आवंटित नहीं की गई है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है।

(4) चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को भूमिहीन आवंटन का पात्र धोषित किया जा चुका है तथा अपीलांट की पात्रता बतौर भूमिहीन आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित् भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर